

# बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

डेयरी प्लॉट, सिरोंजा सागर – 470004 (म.प्र.)

दूरभाष क्र : 07582-281345

ई-मेल sanchibkdssagar@gmail.com

## टैंकर से दुग्ध परिवहन कार्य हेतु ई-निविदा आमंत्रण सूचना :

### प्रथम निविदा

**Ref No: 862/PO/05/ BKDS/SAGAR 2019**

**Dated: 02.11.2019**

बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर को संघ के कार्य क्षेत्र में स्थित दुग्ध शीत केन्द्रों से मुख्य संयंत्र सागर तक 20000 कि.ग्रा. क्षमता के इन्सुलेटेड रोड मिल्क टैंकर्स की आवश्यकता है। टैंकरों को किराये पर लगाने हेतु इच्छुक परिवहनकर्ता वेबसाइट <http://www.mptenders.gov.in> पर अपनी निविदा दरें प्रस्तुत कर सकते हैं। निविदा के साथ प्रतिभूति राशि रुपये 20,000/- जमा करना अनिवार्य है। शर्तों का विस्तृत विवरण [www.mpcdf.gov.in](http://www.mpcdf.gov.in) पर मात्र पठन के लिये उपलब्ध है। एक अथवा समस्त निविदाये निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ सागर के पास निहित रहेगा।

निविदा डाउनलोड प्रारंभ	निविदा डाउनलोड की अंतिम दिनांक	ऑनलाइन निविदा अपलोड की अंतिम दिनांक एवं समय	तकनीकी निविदा खुलने की तिथि एवं समय	वित्तीय निविदा खुलने की तिथि एवं समय
02.11.2019 03:00 PM	23.11.2019 3:00 PM	23.11.2019 05:30 PM	25.11.2019 03:00 PM	26.11.2019 03:00 PM

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

# बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

डेयरी प्लॉट, सिरोंजा सागर – 470004 (म.प्र.)

दूरभाष क : 07582.281345


ई-मेल:- sanchibkdssagar@gmail.com

: निविदा दस्तावेज :

मूल्य रूपये 1000/- मात्र

ई-निविदा बाबत	संघ के कार्य क्षेत्र में स्थित दुग्ध शीत केन्द्रों तक 20000 कि.ग्रा. क्षमता के इन्सुलेटेड रोड मिल्क टैंकर्स द्वारा दुग्ध परिवहन कार्य हेतु परिवहनकर्ताओं से दरों के आमंत्रण की निविदा सूचना ।
निविदा संदर्भ	<b>Ref No: 862/PO/05/ BKDS/SAGAR 2019      Dated: 02.11.2019</b>
शेड्यूल-I	कार्य का विवरण एवं रोड मिल्क टैंकर की आवश्यकता संबंधी विवरण
शेड्यूल- II	सामान्य शर्तें एवं निविदा
शेड्यूल- III	अनुबंधित परिवहनकर्ता हेतु कार्य संचालन की आवश्यक शर्तें
शेड्यूल- IV	तकनीकी विवरण
शेड्यूल- V	दर प्रस्तुतीकरण पत्रक (टोल टैक्स सहित)
प्रतिभूति राशि	Rs. 20,000 दिनांक 23.11.2019 अपरान्ह 05:30 PM बजे तक प्राप्त होना अनिवार्य।(Online mode)
निविदा प्रपत्र क्रय करने की अंतिम तिथि एवं समय	23.11.2019 अपरान्ह 3:00 PM बजे
ऑनलाइन निविदा दर प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय	23.11.2019 अपरान्ह 05:30 PM बजे
निविदा खोलने का समय एवं तिथि	– तकनीकी निविदा दिनांक 25.11.2019 दोपहर 03:00 PM बजे खोली जावेगी। –दर पत्रक दिनांक 26.11.2019 दोपहर 03:00 PM बजे खोले जावेगे।
निविदा प्रस्तुतीकरण	– प्रतिभूति राशि केवल ऑनलाईन मोड में ही स्वीकार की जायेगी। तकनीकी दस्तावेजों हेतु लिफाफा-A को एक अन्य बड़े सील बंद लिफाफे में रख कर इस लिफाफे को दिनांक 25.11.2019 दोपहर 02:30 PM बजे तक संघ कार्यालय में भौतिक तौर पर अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाना है। – दर प्रस्तुतीकरण केवल ऑन लाइन (online) ही किया जाना है ।
पत्राचार हेतु कार्यालय का पता	मुख्य कार्यपालन अधिकारी बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, डेयरी प्लॉट, सिरोंजा सागर – 470004 (म.प्र.)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी



## बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

डेयरी प्लॉट, सिरोंजा सागर – 470004 (म.प्र)

दूरभाष क : 07582-281345

ई-मेल- sanchibkdssagar@gmail.com

### शेड्यूल-I

#### (अ) कार्य का विवरण

बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर के कार्य क्षेत्र में स्थित –


(i) दुग्ध शीतकेन्द्र से डेयरी संयंत्र सागर देश प्रदेश के अन्य दुग्ध संघ के डेयरी संयंत्रों तक एवं दे । प्रदे । के अन्य दुग्ध संयंत्रों तक 20,000 किग्रा. क्षमता के इन्सुलेटेड रोड मिल्क टैंकर्स की आवश्यकता है। इस हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर द्वारा इन्सुलेटेड रोड मिल्क टैंकर से दुग्ध परिवहन करने हेतु किराये पर टैंकर लगाने के इच्छुक परिवहनकर्ताओं से ऑनलाइन निविदायें आमंत्रित की जाती है। (नवम्बर 2019 से 31.10.2020 तक की अवधि के लिये)

निविदा स्वीकृत होने पर वाहन के अनुरक्षण, डीजल, कर्मचारियों पर व्यय टोल टैक्स एवं अन्य सभी प्रकार के खर्च परिवहनकर्ता को करने होंगे। अतः निविदाकारों द्वारा टैंकर संचालन में लगने वाले सभी व्ययों को समावे । कर रोड मिल्क टैंकर्स की क्षमता अनुरूप किराये पर लगाने हेतु केवल प्रति किलोमीटर चालन की ही दरें on line प्रस्तुत की जाए।

#### (ब)रोड मिल्क टैंकर आव यकता संबंधी विवरण

क्रमांक	टैंकर की क्षमता	कार्य नियोजन	टैंकरो की अनुमानित मांग (संख्या)
1	20000 किग्रा.	दुग्ध शीतकेन्द्र से सागर डेयरी संयंत्र एवं दे । प्रदे । के अन्य दुग्ध संघ के डेयरी संयंत्रों तक एवं दे । प्रदे । के अन्य दुग्ध संयंत्रों तक	

टीप :- माँग के अनुरूप टैंकर्स की संख्या कम या अधिक हो सकती है।



# बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

डेयरी प्लॉट, सिरोंजा सागर – 470004 (म.प्र)

दूरभाष क : 07582-281345

ई-मेल:- sanchibkdssagar@gmail.com

## शेड्यूल- II

दुग्ध परिवहन हेतु ई-निविदा की सामान्य शर्तें एवं निविदा प्रस्तुत करने हेतु निर्देश I :

1. दुग्ध संघ में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी/संचालक मण्डल के सदस्यों तथा दुग्ध सहकारी समितियों के कार्यकारिणी सदस्यों एवं कर्मचारियों के परिवार जैसे पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, पिता, भाई-बहन को निविदा भरने की पात्रता नहीं होगी। अतः निविदाकार को इस बावत् पृथक से नोटराइज्ड शपथ पत्र अनुबंध के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है जिसका प्रारूप संलग्न है।
2. संघ के पूर्व में प्रतिबंधित एवं ब्लैक लिस्टेड परिवहन ठेकेदार निविदा भरने हेतु पात्र नहीं होंगे। प्रदेश के अन्य दुग्ध संघों द्वारा ब्लैक लिस्टेड परिवहनकर्ता को भी निविदा में भाग लेने की पात्रता नहीं होगी।
3. संघ द्वारा पूर्व में यदि परिवहनकर्ता को सेवा एवं कार्य के अनुसार असंतोषजनक पाये जाने पर निविदा अवधि के पूर्व कार्य से पृथक किया गया है, तो ऐसे परिवहनकर्ता निविदा में भाग लेने के लिए अपात्र होंगे।
4. निविदाकार के स्वयं या परिवार म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम-1960 की धारा-2 (आई) के अनुसार, के नाम का वाहन होना अनिवार्य है अर्थात् निविदाकर्ता के नाम या परिवार (व्यस्क व्यक्ति के नाम) से ही टैंकर का पंजीयन हो। वाहन के कागजात जिसका मूल दस्तावेज से परीक्षण किया जायेगा, प्रस्तुत नहीं किये जाने पर निविदा की दर हेतु प्रस्तुत भाग (तकनीकी निविदा खुलने के समय) खोली नहीं जावेगी तथा ऐसे निविदाकार की निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
5. प्रतिभूति राशि रूपये 20,000/- (बीस हजार) मात्र **Online mode** में "बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर" के नाम देय हो एवं निर्धारित समयावधि में प्राप्त होना अनिवार्य है। प्रतिभूति राशि के बिना प्रस्तुत निविदाओं को प्राथमिक स्तर पर ही अमान्य किया जायेगा।  
उक्त प्रतिभूति राशि का समायोजन निविदा स्वीकृत होने पर संबंधित सफल निविदाकार के लेखों में सुरक्षानिधि के रूप में समायोजित की जावेगी अर्थात् सुरक्षा निधि जो रु. 3,00,000/- (रु तीन लाख मात्र) है, के विरुद्ध रु. 20,000/- का समायोजन किया जा सकेगा। इस जमा राशि पर कोई भी ब्याज देय नहीं होगा। शेष असफल निविदाकारों की प्रतिभूति राशि एक माह में वापिस कर दी जावेगी। प्रतिभूति राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
6. किसी फर्म द्वारा निविदा प्रस्तुत करने की स्थिति में तकनीकी निविदा पर सभी सदस्यों के हस्ताक्षर अवश्य होने चाहिए या किसी भागीदारी की अनुपस्थिति में उसकी ओर से प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर अवश्य होना चाहिए, जिसके पास ऐसा करने के लिए मुखत्यारनामा है। इस प्रकार उक्त व्यक्ति भारतीय भागीदार अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिए। साथ में पंजीकृत पार्टनरशिप डीड पत्र संलग्न करना होगा।
7. निविदाकार द्वारा यदि निविदा में कोई अन्य शर्त लगायी जाती है, तो ऐसी दशा में निविदा अमान्य कर दी जायेगी।
8. निविदा स्वीकृत होने पर 20000 कि.ग्रा. क्षमता रोड मिल्क टैंकर के सफल निविदाकार के साथ किये गये अनुबंध की अवधि प्रथमतः नवम्बर 2019 से 31.10.2020 की होगी। कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर आपसी सहमति से अनुबंध की अवधि में वृद्धि करने के संपूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सागर दुग्ध संघ के पास सुरक्षित रहेंगे, जो बंधनकारी नहीं होगा।
9. संघ को अच्छी स्थिति के नये टैंकरों की आवश्यकता है। वर्ष 2014 से पुराने वाहनों हेतु प्रस्तुत निविदा को अमान्य कर दिया जावेगा। मात्र स्वयं के नाम के वाहनों की उपलब्धता के अनुसार एक या एक से अधिक वाहनों हेतु निविदा भरी जा सकती है।

10. निविदाकार को निर्धारित निविदा प्रपत्र में दर प्रस्तुत करना होगी इस हेतु निविदा प्रपत्र रूपये 500/- ऑनलाइन भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है।
11. निविदा डबल निविदा पद्धति (तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा) के आधार पर बुलाई जा रही है। निविदा निम्नानुसार प्रस्तुत करना होगी।
- (प) निविदा हेतु आवश्यक प्रतिभूति राशि रूपये 20,000/- को **Online mode** में ही जमा किया जाना आवश्यक है। जो "बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित" के नाम देय हो। जिसकी छायाप्रति एक लिफाफे में रखा जाकर लिफाफे को सील बन्द करना है। इस लिफाफे के ऊपर "निविदा हेतु प्रतिभूति राशि" तथा निविदाकार का नाम व पता स्पष्ट रूप से अनिवार्यतः अंकित किया जाये।
- (पप) द्वितीय लिफाफे B में निविदा संबंधित तकनीकी दस्तावेजों की स्वयं सत्यापित (self attested) प्रतियों को दूसरा लिफाफा - B जो कि लगभग 25 cm x 30cm साइज का हो, में रखा जाकर लिफाफे को सील बन्द करना है। इस लिफाफे पर "तकनीकी निविदा" तथा निविदाकार का नाम व पता स्पष्ट रूप से अनिवार्यतः अंकित किया जाना अनिवार्य रहेगा। उक्तानुसार तैयार किये गये दोनो लिफाफे A एवं B को तीसरे लिफाफे जो कि लगभग 25 cm x 35 cm साइज का हो, में रख कर सील बन्द किया जाना है। इस लिफाफे पर "टैंकर से दुग्ध परिवहन कार्य हेतु निविदा संदर्भ Ref No: 862/PO/05/BKDS/SAGAR 2019 Dated: 02.11.2019" तथा निविदाकार का नाम व पूर्ण पता स्पष्ट रूप से अंकित किया जाना है। यदि निविदाकार की मोहर उपलब्ध हो तो मोहर भी लगायी जाये।
- इस लिफाफे को दिनांक 25.11.2019 को अपराह्न 2.30 बजे तक अनिवार्यतः संघ कार्यालय में प्राप्त हो जाना अनिवार्य है।**
- पपप) दर प्रस्तुतीकरण ऑनलाइन किया जाना अनिवार्य है।
12. न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले निविदाकार द्वारा संघ द्वारा वांछित टैंकर्स उपलब्ध न कराने की दशा में प्राप्त न्यूनतम दर को आधार मानते हुये अन्य समस्त निविदाकारों से निगोशियेशन किया जा सकता है।
13. निविदा स्वीकृति करने के पश्चात् टैंकर संचालन अनिवार्य रहेगा अन्यथा की दशा में प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी।
14. निविदा में प्रस्तुत जानकारी किसी भी समय गलत पायी जाने पर प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी।
15. सभी निविदायें गुण दोष के आधार पर या कोई भी निविदा बिना कारण बताये स्वीकृत या अस्वीकृत करने का संपूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।
16. एक ही मार्ग के लिये दो निविदाओं की समान दरें प्राप्त होने पर आर.टी.ओ. की नवीनतम पंजीयन तिथि वाले निविदाकार को प्राथमिकता दी जायेगी। उसके बाद भी उक्त स्थिति में भी समानता होने पर अधिक अनुभवी टैंकर निविदाकार को प्राथमिकता दी जायेगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

# बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

डेयरी प्लॉट, सिरोंजा सागर – 470004 (म.प्र.)

दूरभाष क्र : 07582-281345

ई-मेल:- sanchibkdssagar@gmail.com

## SCHEDULE - III

### सफल स्वीकृत निविदाकार/परिवहनकर्ता हेतु आवेदन शर्त :-

1. निविदाकार अपने वाहन के अनुरक्षण, डीजल, टोल टैक्स व अन्य सभी खर्चों के लिये स्वयं उत्तरदायी होगा, इस हेतु किसी भी प्रकार का अग्रिम इत्यादि देय नहीं होगा।
2. परिवहनकर्ता को टैंकर परिवहन हेतु आवश्यक स्टॉफ मय अधिकृत लाइसेंस के साथ रखना होगा तथा संबंधित स्टॉफ का पुलिस सत्यापन तथा लाइसेंस की प्रति कार्यालय में जमा करनी होगी।
3. दुग्ध संयंत्रों से समस्त शीत केंद्रों/बी.एम.सी समितियों की दूरियां सत्यापित की गई हैं, अथवा की जावेगी जिसके आधार पर ही परिवहन देयकों का कि.मी अनुसार भुगतान किया जायेगा।
4. परिवहनकर्ता द्वारा प्रदायित टैंकर में वाल्व बाक्स होना अनिवार्य है साथ ही टैंकर मेनहोल के ढक्कन के ऊपर कवर ढक्कन संघ द्वारा दिये गये निर्देश अनुसार होना अनिवार्य होगा जिसमें कोई भी कमी होने पर संबंधित टैंकर को कार्य से पृथक कर दिया जावेगा।
5. परिवहनकर्ता के प्रत्येक टैंकर में दुग्ध संघ द्वारा परिवहनकर्ता के व्यय पर जी.पी.एस.सिस्टम सेन्सर के साथ लगाया जावेगा। इससे टैंकर की स्थिति इंटरनेट के माध्यम से देखी जा सकेगी तथा इसे रिकार्ड किया जा सकेगा। यदि जी.पी.एस. सिस्टम/सेन्सर में परिवहनकर्ता द्वारा कोई छेड़ छाड़ की जाती है तो दुग्ध संघ द्वारा जी.पी.एस. के मूल्य की पांच गुना राशि पेनाल्टी स्वरूप वसूली जावेगी एवं दुबारा ऐसा करने पर अनुबंध समाप्त कर सुरक्षा निधि राजसात कर ली जायेगी जिसके लिये परिवहनकर्ता जिम्मेदार होगा।
6. खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के अंतर्गत समस्त वाहनों का पंजीयन देयक भुगतान से पूर्व अनिवार्य होगा।
7. शीतकेंद्रों/बी.एम.सी समिति से दुग्ध टैंकर को भरकर उसका सैम्पल परिवहनकर्ता के प्रतिनिधि के सामने लेकर तथा तौल कर अथवा सत्यापित क्षमता के आधार पर दुग्ध टैंकर को आवश्यक स्थानों में निर्धारित सील लगाकर तथा सीलों का नम्बर नोट कर एवं दुग्ध के सैम्पल का परीक्षण उक्त प्रतिनिधि के समक्ष करके उसे दिखाकर तदनुसार डिलेवरी चालान आदि बनाया जावेगा जिस पर सम्बंधित प्राप्तकर्ता (वाहन चालक/क्लीनर) के हस्ताक्षर होंगे तथा उसे गेट पास दिया जावेगा।  
परिवहनकर्ता के स्टाफ का यह कर्तव्य होगा कि वह दूध भरे टैंकर को लेकर निकलने के पूर्व सम्पूर्ण चीजे सुनिश्चित कर उसे निर्धारित स्थान पर उसी हालत में पहुँचाये एवं उसकी दूध मात्रा, फ़ैट एवं एस.एन.एफ में कोई अन्तर न आवे। दूध मात्रा, फ़ैट एवं एस.एन.एफ में अंतर प्राप्त होने पर इसकी वसूली परिवहनकर्ता से की जावेगी। उक्त अंतर लगातार प्राप्त होने पर अनुबंध की शर्तों के अनुसार तत्काल प्रभाव से अनुबंध निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी। साथ ही हानि की प्रतिपूर्ति परिवहनकर्ता से की जावेगी तथा उसे ब्लैक लिस्ट किया जावेगा। नियमों का उल्लंघन एवं अन्य अनियमितताओं की दशा में संबंधित नंबर के टैंकर तथा परिवहनकर्ता दोनों को ब्लैक लिस्ट किया जावेगा, उसे देश प्रदेश के अन्य दुग्ध संघों में भी परिवहन कार्य नहीं दिया जा सकेगा। जिसकी सूचना अन्य दुग्ध संघों को तत्काल दे दी जावेगी।
8. यदि टैंकर पर लगी सील/सीलों में कोई टेम्परिंग पाई जाती है तो दूध की मात्रा फ़ैट एवं एस.एन.एफ में अंतर न आने पर भी इस स्थिति में रु 10,000/- का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जावेगा तथा इस कृत्य की प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित थाने में दर्ज की जावेगी।
9. परिवहन निर्देशों में दूरी अनुसार अधिकतम परिवहन समय सीमा निर्धारित की गई है उससे अधिक समय में टैंकर लाने पर जहाँ अर्थदण्ड लगाया जावेगा वही गुणवत्ता प्रभावित होने की स्थिति में हुई सम्पूर्ण क्षति की भरपाई परिवहनकर्ता के देयकों से की जाएगी।

10. दुग्ध टैंकरों के सम्पूर्ण अनुरक्षण तथा दुग्ध टैंकर के अनुरक्षण जैसे साफ सफाई, लीकेज, पेंटिंग, लाकिंग व्यवस्था इत्यादि व्यवस्थित रखना आवश्यक होगा। टैंकर के अन्दर की सफाई संघ द्वारा की जावेगी।
11. परिवहन के दौरान टैंकर क्षतिग्रस्त होने पर या खराब होने पर, ओवरलोडिंग या अन्य कारणों से अनावश्यक विलम्बित होने के कारण यदि दूध की गुणवत्ता या मात्रा में कमी परिलक्षित होती है तो उसका संपूर्ण उत्तरदायित्व परिवहनकर्ता का होगा, एवं समस्त क्षति का कटौत्रा परिवहनकर्ता के देयक से किया जावेगा।
12. टैंकर फेल होने पर अन्य टैंकर की व्यवस्था कर दुग्ध का परिवहन करने का दायित्व परिवहनकर्ता का होगा तथा इस परिवर्तन में हुए फ़ैट, एस,एन,एफ एवं दूध मात्रा आदि हानि की वसूली की जाएगी, इस स्थिति में परिवहनकर्ता को संघ कार्यालय से परिवर्तन करने की पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक होगा।
13. यदि परिवहन के दौरान टैंकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है एवं जिसके परिणामस्वरूप दूध का नुकसान होता है तो हानि की संपूर्ण राशि परिवहनकर्ता के देयक से कटौत्रा की जायेगी।
14. परिवहनकर्ता स्टाफ को दुग्धालय परिसर में अच्छा आचरण एवं व्यवहार रखना होगा। किसी भी स्थिति में अभद्र आचरण दण्डनीय होगा। टैंकर एवं स्टाफ को दुग्धालय परिसर में निर्धारित स्थान पर टैंकर खाली होने तक ही रुकने की अनुमति होगी तथा टैंकर खाली होने पर तत्काल टैंकर को अपने निर्धारित स्थान हेतु रवाना होना पड़ेगा, अन्यथा प्रत्येक एक घंटे हॉल्टिंग का रूपये 1,000/- दंड लगेगा जिसका मिलान सिव्कोरिटी गेट के रजिस्टर से किया जायेगा।
15. टैंकर में दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं का परिवहन वर्जित होगा। दुग्ध परिवहन के दौरान रास्ते में टैंकर किसी भी ढाबे या मुख्य मार्ग से हटकर खड़ा नहीं होगा। अति आवश्यक होने पर मेन रोड़ पर ही टैंकर खड़ा किया जावेगा वह भी अधिकतम 15 मिनट हेतु।
16. टैंकरों को क्षमता के अनुसार **R.T.O** से सत्यापित होना आवश्यक है। दुग्ध टैंक बदलने हेतु उसकी पूर्व अनुमति कार्यालय से लेनी होगी। किसी भी दशा में पूर्व अनुमति के बिना टैंकर का बैरल बदला नहीं जाएगा। यदि बिना पूर्व अनुमति के परिवहनकर्ता द्वारा बैरल बदला जाता है तो ऐसे परिवहनकर्ता का अनुबंध निरस्त कर उसे कार्य से पृथक कर, अमानत राशि राजसात करते हुए ब्लैक लिस्ट किया जायेगा। जिसका संपूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ के पास सुरक्षित रहेगा, जो कि परिवहनकर्ता पर बंधनकारी होगा।
17. परिवहन कार्य संघ द्वारा निर्धारित किए गए नियत मार्ग से ही करना होगा। अन्य मार्ग से टैंकर का आना-जाना, पाये जाने पर यह माना जावेगा कि टैंकर को दूध चोरी के उद्देश्य से मार्ग बदलकर परिवहन किया गया है अतः तदानुसार कार्यवाही की जावेगी।
18. संघ कार्यालय द्वारा टैंकरो की निगरानी हेतु गठित समिति के सदस्यों को परिवहनकर्ता के स्टॉफ द्वारा पूर्ण सहयोग देना अनिवार्य होगा।
19. भविष्य निधि अधिनियम तथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अन्तर्गत वाहन ठेकेदार द्वारा वाहन पर नियुक्त कर्मचारियों की केवल भविष्य निधि अधिनियम/कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के प्रावधान अनुसार परिवहनकर्ता को संबंधित विभाग से कोड नम्बर प्राप्त कर नियमित अंशदान जमा करना अनिवार्य होगा। अंशदान जमा न करने की दशा में प्रबंधन को यह अधिकार होगा कि अंशदान की राशि वाहन ठेकेदार के देयकों/सुरक्षानिधि से वसूल कर जमा की जावेगी जिसकी पूर्ण जवाबदारी परिवहनकर्ता की होगी। इसी प्रकार श्रम अधिनियमों के अंतर्गत समस्त श्रम अधिनियमों के नियमों का पालन करने का दायित्व परिवहनकर्ता का होगा। परिवहनकर्ता को वाहन पर चलने वाले कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन कराकर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
20. परिवहनकर्ता को वाहन पर कार्यरत कर्मचारियों का पहचान पत्र बनवाना आवश्यक होगा, साथ ही संघ द्वारा निर्धारित गणवेश पहनना अनिवार्य होगा। समस्त व्ययों का वहन परिवहनकर्ता को करना होगा।
21. दुग्ध परिवहनकर्ता के द्वारा टैंकर पर निम्नानुसार लिखवाना आवश्यक होगा, नहीं लिखवाने पर संघ द्वारा लिखवाये जाने पर होने वाले समस्त व्ययों का कटौत्रा परिवहनकर्ता के देयक से कर लिया जावेगा जो परिवहनकर्ता पर बंधनकारी होगा।

(i) टैंकर के पीछे "दुग्ध विक्रय हेतु नहीं है लिखना होगा।"

(ii) टैंकर के दोनों ओर "यदि इस टैंकर से मार्ग पर दूध निकालते हुए देखा जाये तो कृपया

9406900255 अथवा 7987268850 – 7879644802 नम्बर पर सूचित करें।

22. समस्त वैधानिक आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति परिवहनकर्ता द्वारा करना आवश्यक होगी।
23. नियमानुसार परिवहनकर्ता के देयक से आयकर एवं अधिभार का कटौती गणनानुसार किया जावेगा। आयकर अधिकारी द्वारा कटौती न करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही इसमें छूट मिलेगी।
24. स्वीकृत निविदाकार(परिवहनकर्ता) को बुन्देलखण्ड दुग्ध संघ के साथ रुपये 1000/- के स्टॉम्प पेपर पर अनुबंध करना अनिवार्य होगा साथ ही दुग्ध संघ की सदस्यता रुपये 100/-जमाकर सदस्यता प्राप्त करनी होगी, किन्तु मतदान इत्यादि की पात्रता नहीं होगी।
25. डीजल की दरों में वृद्धि या कमी होने पर परिवहन दरों में समानुपातिक वृद्धि अथवा कमी की जा सकेगी। इसकी गणना निम्नानुसार की जावेगी :-

20000 कि.ग्रा क्षमता ----- 4-5 km/lit

टैंकरों की क्षमता आर.टी.ओ द्वारा रोड पर संचालन हेतु निर्धारित की गई है। परिवहनकर्ता को तदनुसार ही टैंकरों की क्षमता रखना आवश्यक होगा।

26. 20000 कि.ग्रा से अधिक क्षमता वाले टैंकरों की आनुपातिक दर, 20000 कि.ग्रा हेतु प्राप्त दर के आधार पर निकाली जाएगी। टैंकरों की क्षमता आर.टी.ओ द्वारा रोड पर संचालन हेतु निर्धारित की गई है। परिवहनकर्ता को तदनुसार ही टैंकरों की क्षमता रखना आवश्यक होगा। टैंकर की अधिकतम क्षमता 20,000 कि.ग्रा से अधिक नहीं होनी चाहिए।
27. (अ) निविदा स्वीकृत होने पर दूध परिवहन हेतु सफल निविदाकार के साथ किये गये अनुबंध की अवधि प्रथमतः एक वर्ष की होगी। कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर आपसी सहमति से अनुबंध की अवधि में एक वर्ष की वृद्धि करने के संपूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, बुन्देलखण्ड दुग्ध संघ के पास सुरक्षित रहेंगे, जो बंधनकारी नहीं होगा।  
(ब) 20000 कि.ग्रा. क्षमता के परिवहनकर्ता के साथ किये गये अनुबंध की अवधि नवम्बर 2019 से 31.10.2020 की होगी। कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर आपसी सहमति से अनुबंध की अवधि में वृद्धि की जा सकेगी जिसके संपूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ के पास सुरक्षित रहेंगे।
28. वाहन ठेकेदार को अपने वाहन पर सॉची दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद की पेंटिंग संघ द्वारा दिये गये नमूने अनुसार स्वयं के व्यय पर कराना होगी, अन्यथा संघ द्वारा लेखन कार्य कराने पर व्यय हुई राशि परिवहनकर्ता के देयक से कटौती की जावेगी।
29. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी** बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ को यह पूर्ण अधिकार होगा कि ठेके की अवधि को एक वर्ष तक समान दर एवं शर्तों पर आपसी सहमति से बढ़ा सके, ठेके की शर्तों तथा शासकीय अधिनियमों/नियमों की अवहेलना करने पर ठेके की अवधि में किसी भी समय ठेका निरस्त कर जमा की गयी सुरक्षानिधि राजसात करने का संपूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास रहेगा।
30. स्वीकृत निविदाकार को परिवहन के दौरान आवश्यकता होने पर मौखिक मांग अनुसार टैंकर समय पर उपलब्ध करवाना होंगे।
31. परिवहन के दौरान संघ द्वारा गठित निगरानी समिति, अन्य व्यक्ति प्रशासन एवं पुलिस द्वारा दूध की चोरी करते पकड़ा जाता है तो आर्थिक **दण्ड रुपये 1,00,000/-** के साथ-साथ संपूर्ण अनुबंध अवधि में दूध की मात्रा फैंट एवं एस.एन.एफ आदि में हुई कमी का कटौती संबंधित ठेकेदार के देयकों अथवा सुरक्षानिधि से किया जावेगा। साथ ही वाहन पर कार्यरत कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से वाहन संचालन कार्य से हटाना अनिवार्य होगा। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए उपरोक्त दण्ड बढ़ाया भी जा सकेगा इसके पश्चात् भी यदि चोरी/हेरा-फेरी में लिप्तता पाई जाती है, तो संबंधित परिवहनकर्ता एवं उसके वाहन चालक के विरुद्ध संबंधित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जावेगी तथा **मुख्य कार्यपालन अधिकारी** द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा जो परिवहनकर्ता को बंधनकारी होगा। किसी भी प्रकार की अप्रिय एवं अवांछनीय घटना की जानकारी कार्यालय को तुरंत देनी होगी।
32. परिवहन के दौरान रास्ते में टैंकर किसी भी ढाबे या मुख्य मार्ग से हटकर किसी भी स्थान पर अनावश्यक खड़ा नहीं होगा तथा संघ द्वारा निर्धारित मार्ग से ही जाना होगा। यदि जी.पी.एस. लोकेशन में यह पाया जाता है कि टैंकर शंकास्पद स्थान अथवा निर्धारित मार्ग से अलग स्थान पर खड़ा है अथवा परिवहन कर रहा है तो रु. 20,000/- का आर्थिक दंड किया जावेगा। किसी विशेष परिस्थिति में मार्ग बदलने पर उसकी सूचना संघ कार्यालय को देकर अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।



33. देयक का भुगतान विलंबित होने पर कोई भी ब्याज देय नहीं होगा।
34. यह कि टैंकर में सील एवं लॉक करने के सभी पार्टस लगे हो ताकि टैंकर दूध एवं दुग्ध पदार्थ लोड करने के पश्चात सील किया जा सके।
35. परिवहन के दौरान प्राकृतिक कारणों अथवा अन्य किसी कारण से हुये मार्ग अवरोध की दशा में परिवहनकर्ता की जिम्मेदारी होगी कि वह संबंधित शासकीय अधिकारी से उसका प्रमाण पत्र प्राप्त कर संघ में प्रस्तुत करें तथा **महाप्रबंधक (सं.सं.)** के निर्देशानुसार दूध को समय पर डेरी प्लांट में पहुँचाये अथवा प्राप्तकर्ता डेरी तक पहुँचाये, यह तात्कालिक स्थिति पर निर्भर करेगा।
36. यह कि अनुबंधकर्ता द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबंध शर्तों का उल्लंघन करने पर हुई हानि की राशि प्रथमतः उसके देयकों से उसके बाद सुरक्षानिधि से एवं शेष बचने पर वसूली की कार्यवाही कानूनी प्रक्रिया के तहत की जावेगी। यह कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की लिखित पूर्व सूचना देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा।
37. यह कि किसी भी विवाद हेतु न्याय क्षेत्र सागर रहेगा एवं विवाद सहकारी न्यायालय में निपटायें जायेंगे।
38. यह कि अनुबंध की अवधि के दौरान अनुबंध की शर्तों में परिवर्तन/संशोधन किये जाने का संपूर्ण अधिकार आपसी सहमति से **मुख्य कार्यपालन अधिकारी** को होगा।
39. परिवहन के दौरान अनावश्यक विलंब होने पर उस ट्रिप हेतु रूपये 10,000/-का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जावेगा।
40. यह कि टैंकरों की माँग घटाई बढ़ाई जा सकती है ऐसी स्थिति में टैंकर मांगे जाने पर 48 घंटे के अंदर टैंकर प्रदाय करना अनिवार्य होगा। टैंकर प्रदाय न करने की स्थिति में संघ द्वारा अन्य व्यवस्था करने पर होने वाले समस्त व्यय को द्वितीय पक्ष से वसूल किये जावेगे।
41. परिवहनकर्ता को एक कम्प्रीहेंसिव बीमा पालिसी वाहनों हेतु लेना अनिवार्य होगी। परिवहनकर्ता का यह दायित्व होगा की आर.टी.ओ द्वारा निर्धारित टैक्स, फीस, ड्यूटीज समय पर जमा करें तथा वाहन चालक के पास निर्धारित लाइसेंस होना आवश्यक है। मोटर व्हीकल ऍक्ट के अनुसार यदि कोई कमी पाई जाती है और दुर्घटना के कारण कोई नुकसान होता है तो इसकी पूर्ण जवाबदारी परिवहनकर्ता की होगी ना कि दुग्ध संघ की।
42. आर्विट्रेशन एवं कोंसिलेशन एक्ट 1996 के तहत किसी भी विवाद की स्थिति में विवाद का निराकरण मध्यस्थ (Arbitrator) अध्यक्ष बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर के द्वारा किया जायेगा जो कि अंतिम होगा व दोनों पक्ष को मान्य होगा।

**मुख्य कार्यपालन अधिकारी,  
बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,  
सिरोंजा, सागर (म.प्र.)**

**SCHEDULE - IV****तकनीकी विवरण**

1. निविदाकार का नाम — .....
2. पूरा पता — .....
3. फोन नं/ मोबाईल नं. — .....
4. ई-मेल आईडी — .....
5. वाहन का रजिस्ट्रेशन क्रमांक एवं प्रकार  
(दस्तावेजों की छायाप्रति संलग्न करें) — .....
6. रोडमिल्क टैंकर क्षमता — .....
7. आयकर पेन का विवरण (छायाप्रति संलग्न करें) — .....
8. किसी दुग्ध संघ : द्वारा काली सूची में — .....  
नामित नहीं किया है इस सम्बन्ध में शपथ पत्र रु. 100/-  
(नोटरी द्वारा सत्यापित)
9. टैंकर का नियोजन किस कार्य हेतु किया जाना है।  
(बी.एम.सी से डेयरी संयंत्र/दुग्ध शीतकेन्द्र से डेयरी संयंत्र — .....  
एवं अन्य दुग्ध संयंत्र)
10. सर्विस टैक्स नं. (छायाप्रति संलग्न करें) — .....
11. मॉडल तथा मेक — .....
12. जी.पी.एस. सिस्टम की व्यवस्था — .....
13. आर.टी.ओ. संबंधित अन्य आवश्यक दस्तावेजों  
की स्थिति — .....

निविदा फार्म में वर्णित बुन्देलखण्ड सह. दुग्ध संघ के समस्त नियम व शर्तें पूर्णतः मान्य है ।

स्थान .....

दिनांक .....

हस्ताक्षर निविदाकार  
नाम —  
मोबाइल नं.—

## बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

डेयरी प्लांट, सिरोंजा सागर – 470004 (म.प्र)

दूरभाष क : 07582-281345

ई-मेल: [sanchibkdssagar@gmail.com](mailto:sanchibkdssagar@gmail.com)

### **SCHEDULE - V**

**दर प्रस्तुतीकरण पत्रक**

**(RATES SHOULD BE SUBMITTED IN THIS FORMAT)**

**FINANCIAL BID**

क्र.	विवरण	टैकर नियोजन संख्या	दर प्रति कि.मी. (समस्त टोल टैक्स शामिल करते हुए)
1.	टैकर क्षमता 20000 कि.ग्रा. दुग्ध शीतकेन्द्र से डेयरी संयंत्र सागर/प्रदेश के अन्य दुग्ध संघों के डेयरी संयंत्रों तक एवं दे । प्रदे । के अन्य दुग्ध संयंत्रों तक	02	

**AGREEMENT FOR HIRING OF ROAD MILK TANKER FOR THE TRANSPORTATION OF MILK**

THIS AGREEMENT IS MADE THE DAY \_\_\_\_\_ between Bundelkhand Sahakari Dugdha Sangh Maryadit, through its CHIFE EXECUTIVE OFFICER (hereinafter called, the FIRST PARTY, which expression shall, where the context be to include his successor in the office) And ..... (herein after called the Transporter), Which expression shall, where the context so admit, includes his heirs, executors, successors and assignees on the SECOND PARTY.

WHEREAS THE Transporter has offered to provide \_\_\_\_\_ Nos. of Road Milk Tankers for the transportation of Milk on hiring basis, vide his tender offer No. \_\_\_\_\_- \_\_\_\_\_ Dt. \_\_\_\_\_ after negotiations held on -----

WHEREAS Bundelkhand Sahakari Dugdha Sangh Maryadit, has adgreed to hire Insulated Road Milk Tanker for the Transportation of Milk in the State of Madhya Pradesh, the said article from the transporter/supplier, on the approved rates, which are as following :

S.NO	Capacity	Rates within Madhya Pradesh
1.		
2.		
3.		

Now therefore, the agreement witnesses and it is hereby agreed as following.

1. The approved rates shall be valid for two years from the date of approval of the rates and agreement shall be effected from date .

In case of price revision of diesel, the rate will be revised proportionately considering number of Kilometers limit,

- The said article shall be providing milk as per dispatch schedule.
- The terms and conditions are agreed as per the Complete tender. document.

Signature:

Signature:

IInd party

I st party

Name \_\_\_\_\_

CEO  
Bundelkhand Sahakari Dugdha Sangh Maryadit

Address \_\_\_\_\_

Sironja Sagar - 470004

Witness:

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

Witness:

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

मैं.....आत्मज.....आयु लगभग.....निवासी.....  
 बुन्देलखण्ड दुग्ध संघ में.....कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं यह वचन पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ कि मेरा  
 बुन्देलखण्ड दुग्ध संघ के माननीय अध्यक्ष/संचालक/दुग्ध संघ के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी से कोई संबंध नहीं है।

मेरे द्वारा प्रस्तुत वचन पत्र यदि भविष्य में गलत पाया जाता है तो दुग्ध संघ किसी भी समय मुझे आवंटित कार्य निरस्त कर  
 जो भी कार्यवाही करेगा उसे मानने के लिए मैं बाध्य रहूंगा/रहूंगी तथा इसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कार्यवाही नहीं  
 करूंगा/करूंगी।

हस्ताक्षर

दिनांक

नाम .....

पता .....

.....

.....

### सत्यापन

मैं..... उपरोक्त वर्णित वचनदाता सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त कथन पूर्णरूपेण सत्य होकर  
 वि वसनीय है।

हस्ताक्षर

दिनांक

नाम .....

पता .....

.....

.....